भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3481
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

संनिर्माण उद्योग में रोजगार
अवसर

3481. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संनिर्माण उद्योग में कितने रोजगार अवसरों का सृजन किया गया है;

(ख) क्या कुशल कामगारों की कमी से संनिर्माण परियोजनाओं की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं में किस प्रकार के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी; और

(ग) इस क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): भवन अथवा अन्य निर्माण कामगारों को पूर्ववर्त्ती बारह माह के दौरान किए गए न्यूनतम 90 दिनों के भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के आधार पर, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (आरईसीएस) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के राज्य कल्याण बोर्डों में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण (बीओसी) कामगारों की संचयी संख्या निम्नानुसार उल्लिखित हैं:

31.12.2016 तकः 2.54 करोड़
31.12.2017 तकः 2.82 करोड़
31.12.2018 तकः 3.23 करोड़

(ख): इस संबंध में कोई आधिकारिक अनुमान/सर्वेक्षण नहीं है।

(ग): बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉमेंन्ट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस [(बीओसीडब्ल्यू) (आरईसीएस)] अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) के अनुसार, बीओसी कामगारों तथा उनके आश्रितों के कौशल विकास से संबंधित योजना सहित कल्याण योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश/परामर्शी जारी करती रही है। हाल ही में सितम्बर, 2018 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार परामर्श दिया गया हैः

बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के कौशल विकास कार्यकलापों का राज्य कौशल विकास मिशनों/कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समामेलन होना चाहिए, ताकि बीओसी कामगारों एवं उनके आश्रितों के लिए लाभों को बेहतर बनाया जा सके तथा नए कौशल हासिल करके उनके कौशल को अद्यतन करने अथवा उसे नया आयाम देने में उनकी सहायता की जा सके। ऐसी प्रशिक्षण अवधि के दौरान, कामगार को वृत्तिका एवं प्रशिक्षण व्यय के रूप में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रशिक्षण को 3 वर्षों में एक बार तक सीमित किया जाना चाहिए। बोओसी कामगारों के आश्रितों को भी कौशल विकास प्रदान किया जा सकता है, लेकिन वह बिना किसी वृत्तिका के होगा। एक वित्तीय वर्ष में इस शीर्ष के तहत किया जाने वाला व्यय पिछले वर्ष में एकत्रित किए गए उपकर के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

*****